हरियाणा पुलिस में सिपाही के 5000 पदों, आईआरबी में सिपाही के 1000 पदों, एसपीओ के 5000 पदों पर भर्ती होगी, 5000 होम गार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं ली जाएंगी

डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार से मांगी रिक्त पद भरने की अनुमति

सरकार ने आईआरबी में सिपाही के 1000 पदों की मंजूरी दी, अन्य पदों की भी जल्द मिलेगी मंजूरी

सिपाही के 5000 पदों पर भर्ती के लिए पहले ही एचएसएससी को भेजा जा चुका है आग्रह पत्र

डॉ. सुरेंद्र धीमान / सवेरा ब्यूरो

चंडीगढ़, 28 जून : हरियाणा पुलिस में सिपाही, होम गार्ड, एसपीओ पदों पर बंपर भर्ती होने जा रही है। डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने हरियाणा सरकार पुलिस में सिपाही के 5000, आईआरबी में सिपाही के 1000, एसपीओ के 5000 रिक्त पदों को भरने की अनुमति मांगी है। साथ में होम गार्ड के 5000 स्वयंसेवकों की सेवाएं मांगी है। हरियाणा सरकार ने तुरंत आईआरबी में सिपाही के 1000 पदों को भरने की अनुमति भी दे दी है। पुलिस सिपाही के 5000 और आईआरबी में सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग करेगा। जिन 5000 पदों को भरने की अनुमति मांगी है, उनमें पुरुष सिपाही के 4000 और महिला सिपाही के 1000 पद शामिल हैं। ये पद उन 6000 पदों से अलग है, जिन पर भर्ती करने का आग्रह पत्र पहले ही हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग को भेजा जा चुका है और आयोग उन्हें विज्ञापित कर चुका है। इन विज्ञापित पदों के विरुद्ध सीईटी पास योग्य उम्मीदवारों ने आवेदन भी कर दिया है। इनमें से पुरुष सिपाही के 5000 और महिला सिपाही के 1000 पद शामिल हैं। हालांकि हाईकोर्ट के फैसले को देखते हुए आयोग इन 6000 पदों के लिए दोबारा आवेदन के लिए कह सकता है क्योंकि सीईटी स्कोर अब केवल सीईटी में प्राप्त अंकों के आधार पर बदल गया है। हालांकि आयोग ने इस पर अंतिम फैसला करना है।

आईआरबी में पुरुष सिपाही के 1000 पदों को भरने की मंजूरी मिली

डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने आईआरबी में पुरुष सिपाही के 1000 पदों को भरने की अनुमति मांगी थी जिसे सरकार ने दे दिया। उन्होंने सरकार को भेजे पत्र में लिखा था, 'आईआरबी में हैड कांस्टेबल के 668 पदों में से 88 और सिपाही के 2700 पदों में से 1131 पद रिक्त पड़े हैं। इसके अलावा, यह भी प्रस्तुत किया गया है कि कांस्टेबल रैंक के 909 पद फरवरी, 2023 के महीने में खाली पड़े थे, जब आईआरबी में पुरुष कांस्टेबल के 1000 रिक्त पदों को भरने की अनुमति देने का प्रस्ताव था। दिनांक 20.02.2023 के माध्यम से आपके कार्यालय में जब प्रस्ताव भेजा गया था तब आईआरबी बटालियनों में 798 (550 कांस्टेबल +248 हेड कांस्टेबल) पुलिस कर्मियों के 30.06.2023 को 15 साल की सेवा पूरी करने की स्वीकृति देने का प्रस्ताव शामिल था। हालांकि अब आईआरबी में पुरुष कांस्टेबल के 1131 पद रिक्त हो गए हैं। इसलिए आईआरबी कर्मियों के जिला पुलिस में विलय के निर्णय का इंतजार करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः अनुरोध है कि समय-समय पर संशोधित हरियाणा राज्य और हरियाणा पुलिस (गैर राजपत्रित और अन्य रैंक) पर लागू पंजाब पुलिस नियमों के नियम 12.14 से 12.19 में निहित प्रावधानों के अनुसार हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से आईआरबी में पुरुष सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती हेतु आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए।' गृह विभाग ने डीजीपी को 27 जून, 2024 को पत्र लिखकर सूचित किया है कि सरकार ने आईआरबी में पुरुष सिपाही के 1000 पदों को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से भर्ती करने के प्रस्ताव से सहमत होते हुए अनुमति दे दी है।

पुलिस में सिपाही के 15541 पद रिक्त, 5000 होम गार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं : एडीजीपी

एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर संजय कुमार ने प्रदेश सरकार को पत्र लिखकर सूचित किया कि पुलिस में सिपाही के 15541 पद रिक्त हैं इसलिए 5000 होम गार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। उन्होंने लिखा, 'निवेदन है कि 01.06.2024 तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 15,541 पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए एक चुनौती है। हाल ही में हुए आम संसदीय चुनाव-2024 के दौरान पुलिस विभाग को चुनाव संबंधी कर्तव्यों पर तैनाती के लिए होम गार्ड स्वयंसेवकों की कमी का सामना करना पड़ा था। इस कमी को पूरा करने के लिए, चुनाव कर्तव्यों के लिए भुगतान के आधार पर मध्य प्रदेश, पंजाब, हिमाचल प्रदेश और गुजरात राज्यों से 8200 होम गार्ड उधार लिए गए थे। वर्ष 2024 में आगामी विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए पुलिस बल कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने तथा वीवीआईपी/वीआईपी ड्यूटी के संचालन में व्यस्त रहेगा। वहीं, सर्दियों के महीनों के दौरान कोहरे के मौसम के कारण दुर्घटनाएं बढ़ने की प्रवृत्ति रहती है। इसलिए कानून एवं व्यवस्था बनाए रखने, अपराध को रोकने, अवैध खनन पर अंकुश लगाने और यातायात को नियंत्रित करने में पुलिस बल के प्रयासों को पूरा करने के लिए अतिरिक्त होम गार्ड स्वयंसेवकों की आवश्यकता है। इसलिए 5000 होम गार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं।'

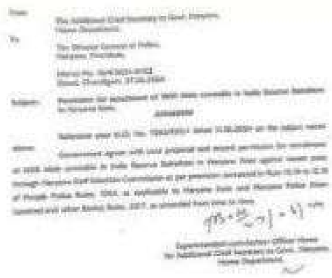

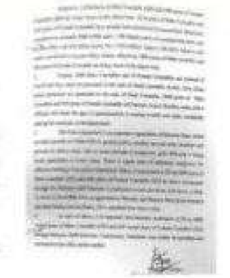

(1) हरियाणा सरकार की तरफ से आईआरबी में सिपाही के 1000 पदों को भरने की दी गई अनुमति का पत्र (2) डीजीपी की तरफ से पुरुष सिपाही के 4000, महिला सिपाही के 1000 पदों पर भर्ती के लिए भेजा गया प्रस्ताव (3) एडीजीपी की तरफ से 5000 एसपीओ भर्ती करने की अनुमति के लिए भेजा गया प्रस्ताव (4) एडीजीपी की तरफ से 5000 होम गार्ड स्वयंसेवकों की सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए भेजा गया प्रस्ताव।

सिपाही पद पर 5000 एसपीओ नियुक्त करने की अनुमति दी जाए : एडीजीपी

एडीजीपी प्रशासन संजय कुमार ने प्रदेश सरकार से आग्रह किया है कि पुलिस विभाग में सिपाही के 15541 पद रिक्त होने के कारण सिपाही पदों पर 5000 एसपीओ नियुक्त करने की अनुमति दी जाए। उन्होंने लिखा, 'प्रस्तुत है कि 01.06.2024 तक पुलिस विभाग में कांस्टेबल के 15,541 पद रिक्त हैं। इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां कर्तव्यों के कुशल निर्वहन के लिए चुनौती पेश करती है। पुलिस विभाग को हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पुरुष कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के 5000 पदों को भरने के लिए सरकार से अनुमति मिली थी और फिर भर्ती प्रक्रियाधीन है। इसके अलावा, हमने दिनांक 12.04.2024 के माध्यम से 4000 पुरुष और 600 महिला कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) के पदों को भरने की अनुमति मांगी है। यह राज्य सरकार के साथ प्रक्रियाधीन है। हालांकि, उनकी भर्ती और प्रशिक्षण में समय लगेगा। कानून और व्यवस्था के लिए हाल ही में उत्पन्न चुनौतियों के साथ-साथ हरियाणा और पंजाब में विस्फोटकों की बरामदगी और किसानों के आंदोलन के मद्देनजर राज्य की सुरक्षा के लिए बढ़ते खतरों ने जनशक्ति में वृद्धि की तत्काल आवश्यकता को उजागर किया है। हरियाणा पुलिस अधिनियम 2007 की धारा 21 में विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) की नियुक्ति का प्रावधान है, जिन्हें सरकार द्वारा निर्धारित मानदेय दिया जा सकता है। धारा 21 में प्रावधान है : किसी जिले का पुलिस अधीक्षक या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेष रूप से सशक्त कोई अधिकारी, किसी भी समय ऐसे अधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर सहित जारी लिखित आदेश द्वारा, नियुक्ति आदेश में विनिर्दिष्ट अवधि के लिए, 18 से 50 वर्ष की आयु के बीच के किसी सक्षम, शिक्षित और इच्छुक व्यक्ति को, जिसे वह सेवा में सहायता के लिए विशेष पुलिस अधिकारी नियुक्त करने के लिए उपयुक्त समझे, नियुक्त कर सकेगा। राज्य सरकार ने पहले ही सेना/सीएपीएफ के पूर्व सैनिकों और विघटित एचएसआईएसएफ/एचएपी बटालियन के पूर्व कांस्टेबलों के लिए 11000 एसपीओ के नामांकन/नियुक्ति को मंजूरी दे दी है, जिसके लिए विभाग ने वर्तमान में 8734 एसपीओ को नियुक्त किया है। एसपीओ को 20,000 मासिक मानदेय और 3,000 वार्षिक वर्दी भत्ता दिया जा रहा है। रिक्ति की स्थिति को देखते हुए यह प्रस्तावित है कि सरकार द्वारा 5000 अतिरिक्त विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) को नियुक्त करने की अनुमति देने का आग्रह है। मानदेय 18000 रुपये मासिक होगा, एकमुश्त 3000 रुपये भत्तों के तौर पर दिया जाएगा। टीए-डीए 150 रुपये प्रति दिन दिया जाएगा।

इस समय सिपाही के 15541 पद रिक्त पड़े हैं : डीजीपी

डीजीपी शत्रुजीत कपूर ने प्रदेश सरकार से होम गार्ड और एसपीओ की भर्ती के लिए जो पत्र लिखा है, उसमें जानकारी दी है कि इस समय हरियाणा पुलिस में सिपाही के 15541 पद रिक्त हैं। हालांकि हरियाणा पुलिस में पुरुष सिपाही के 4000 और महिला सिपाही के 1000 पदों की अनुमति के लिए जो पत्र लिखा है, उसमें आगे रिटायर होने के कारण रिक्त होने वाले पदों को भी शामिल करते हुए जानकारी दी है। पत्र में लिखा है, 'वर्तमान में विभाग में पुरुष सिपाही (जीडी) के 12506 पद और महिला सिपाही के के 1904 पद खाली पड़े हैं। पुरुष सिपाही के 5216 पद और महिला सिपाही के 1015 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन पहले ही जारी किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त सिपाही के 4680 (4400 पुरुष + 280 महिला) पदों को सरेंडर करने का प्रस्ताव इस कार्यालय के माध्यम से दिनांक 13.09.2023 को भेजा था जो अभी भी गृह विभाग में विचाराधीन है। इसलिए पुलिस विभाग में प्रभावी रूप से पुरुष सिपाही के 2890 पद और महिला सिपाही के 609 पद खाली हैं। इसके अलावा 1068 पुरुष सिपाही और 70 महिला सिपाही कर्मचारियों को लिस्ट बी में सूचीबद्ध किया गया है। इन्हें शीघ्र ही हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा। एक बार जब इन पुलिस कर्मियों को हेड कांस्टेबल के पद पर पदोन्नत किया जाएगा तो पुरुष सिपाही के 3958 पद और महिला कांस्टेबल के 679 पद खाली हो जाएंगे। इसके अलावा कई पुलिस कर्मचारी/अधिकारी आने वाले महीनों में सेवानिवृत्ति की आयु प्राप्त कर सेवानिवृत्त होंगे, जिसके परिणामस्वरूप विभाग में रिक्तियां हो जाएंगी। पुलिस विभाग हरियाणा राज्य का एक महत्वपूर्ण संगठन है, जो वीवीआईपी/वीआईपी और आम जनता को सुरक्षा प्रदान करता है, कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखता है और अपराध को रोकता है और पता लगाता है। जनशक्ति की भारी कमी के कारण विशेषकर निचले स्तर पर बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। पुलिस विभाग के प्रभावी कामकाज के लिए अतिरिक्त जनशक्ति की तत्काल आवश्यकता है। इसलिए पंजाब पुलिस रूल्स-1934 के नियम 12.14 से 12.19 में निर्धारित प्रावधानों और हरियाणा में लागू हरियाणा राज्य (अराजपत्रित और अन्य रैंक) सेवा नियम, 2017, समय-समय पर संशोधित के अनुसार, हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती द्वारा पुरुष सिपाही (जीडी) के 4000 पद और महिला सिपाही (जीडी) के 600 पद भरने का प्रस्ताव है। इसलिए अनुरोध है कि हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से पुरुष सिपाही (जीडी) के 4000 रिक्त पदों और महिला सिपाही (जीडी) के 600 रिक्त पदों को भरने के लिए आवश्यक अनुमति प्रदान की जाए, और इस कार्यालय को यथाशीघ्र सूचित किया जाए।'

इन जिलों में इतने होम गार्ड स्वयंसेवक चाहिएं

जिला	मौजूदा तैनाती	अतिरिक्त आवश्यकता
सोनीपत	479	300
गुरुग्राम	1200	300
फरीदाबाद	500	300
पंचकूला	411	200
अंबाला	590	100
कुरुक्षेत्र	390	100
यमुनानगर	490	200
करनाल	550	200
कैथल	270	200
पानीपत	390	200
रोहतक	170	300
झज्जर	218	300
दादरी	125	100
भिवानी	270	200
हिसार	250	200
हांसी	195	100
सिरसा	400	200
फतेहाबाद	380	100
जींद	330	200
डबवाली	190	200
रेवाड़ी	265	200
महेंद्रगढ़	230	300
पलवल	315	300
नूह	442	200
कुल	9050	5000–

जिला अनुसार एसपीओ की तैनाती और आवश्यकता इस प्रकार है

जिला	मौजूदा अलाटमेंट	आवश्यकता
गुरुग्राम	1133	250
फरीदाबाद	940	250
पंचकूला	424	200
सोनीपत	632	300
झज्जर	495	200
अंबाला	481	300
यमुनानगर	344	300
कुरुक्षेत्र	335	200
करनाल	593	200
कैथल	293	200
मेवात	469	300
पलवल	509	300
रेवाड़ी	457	300
नारनौल	445	300
रोहतक	554	200
पानीपत	348	200
हिसार	379	200
फतेहाबाद	241	200
सिरसा	186	200
भिवानी	494	100
दादरी	344	—
जींद	506	200
हांसी	305	—
डबवाली	93	100
कुल	11000	5000